

कार्यालय उपयोग हेतु

राजस्थान सरकार

वार्षिक

**विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन
2009-2010**

निदेशालय
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय उपयोग हेतु

राजस्थान सरकार

वार्षिक
विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन
2009—10


NUEPA DC



DC118

निदेशालय
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

373.956406
RA5-RA



प्रा व क थ न

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर द्वारा प्रति वर्ष कर्क भांति 2009-2010 का विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रतिवेदन में विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति एवं विभाग की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। केन्द्र सरकार की सहायता से भी राज्य में शिक्षा के विकास हेतु माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न योजनाएँ चलाई जा रही हैं। ऐसी योजनाओं की जनकारी भी इस प्रकाशन में दर्शाई गयी है।

आशा है विभागीय गतिविधियों का यह प्रतिवेदन शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षा योजनाकारों, शोधकर्ताओं एवं शैक्षिक प्रशासन में अभिरुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए उपयोगी होगा। इसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिए सुझावों का स्वागत है।



(भास्कर ए. सावंत)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

स्थान : बीकानेर

दिनांक : 16.07.2010

प्रकाशन से सम्बद्ध अधिकारी एवं कर्मचारी

सांख्यिकी अनुभाग

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. श्रीमती उमारानी द्विवेदी | उपनिदेशक (सांख्यिकी) |
| 2. श्री रमेश कुमार व्यास | सांख्यिकी सहायक |
| 3. श्री ओमप्रकाश पुरी | संगणक |
| 4. श्री कन्हैयालाल किराडू | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी |

कम्प्यूटर अनुभाग

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. श्री ए. मुखर्जी | एनालिस्ट कम प्रोग्रामर |
| 2. श्री पितराम सिंह राठौड़ | वरिष्ठ लिपिक |

अनुक्रमणिका

क.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	सामान्य परिचय	01
2	प्रशासनिक स्वरूप	02-03
3	शैक्षिक प्रगति	04
4	बालिका शिक्षा	04-06
5	विभिन्न योजनाएं	06-09
6	शारीरिक शिक्षा एवं सहशैक्षिक प्रवृत्तियां	10
7	आय व्यय	10
8	पेंशन स्थिरीकरण	10
9	न्यायिक प्रकरण	11
10	जांच प्रकरण	11
11	सतर्कता	12
12	विभागीय चयन समिति	12-13
13	राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान	13
14	हितकारी निधि	14
15	छात्रवृत्तियां	14
16	गैर राजकीय संस्थाओं को अनुदान	15
17	शिक्षक दिवस समारोह	15
18	पुस्तकालय (समाज शिक्षा)	15
19	शिक्षक प्रशिक्षण	15
20	विभागीय प्रकाशन	16
21	भाषायी अल्पसंख्यक	16
22	विशिष्ट शैक्षिक अभिकरण	17
23	शिक्षा की प्रगति से संबंधित सारणियां	18-20

वार्षिक विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन 2009-2010

(1) सामान्य परिचय

राजस्थान की स्थापना रियासतों के विलीनीकरण के फलस्वरूप वर्ष 1949 में हुई। शिक्षा को सुव्यवस्थित संचालन के लिए वर्ष 1950 में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर की स्थापना की गई। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए वर्ष 1997 में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का पृथकीकरण किया गया। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 28-11-1997 के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का अलग-अलग गठन किया गया। प्रारंभिक शिक्षा के लिए पृथक विभागाध्यक्ष, आई.ए.एस. बनाये गये एवं 01-01-1998 से निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के अधीन पृथक प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बीकानेर मुख्यालय पर कार्य प्रारंभ कर दिया।

निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा के अधीन राज्य की समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, के अधीन राज्य की समस्त माध्यमिक एवं सीनियर माध्यमिक विद्यालयों का नियंत्रण एवं प्रशासन हैं। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के नेतृत्व में निदेशालय स्तर पर संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी व प्रधानाचार्य समकक्ष अधिकारी तथा प्रत्येक मंडल स्तर पर उपनिदेशक (माध्यमिक) व प्रत्येक जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) शैक्षिक प्रबंध व प्रशासन का दायित्व निभाते हैं।

राजस्थान राज्य में आलौच्य वर्ष में कुल 33 जिले हैं, जिनमें 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 5.65 करोड हैं। इनमें 2.94 करोड पुरुष एवं 2.71 करोड महिलाएँ हैं। वर्तमान में राज्य स्तर पर जनसंख्या घनत्व 165 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर हैं।

2001 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की जनसंख्या में साक्षरता प्रतिशत 61.03 है, जिसमें पुरुषों का 76.46 एवं महिलाएँ 44.34 प्रतिशत है। 2001 की जनगणना अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता प्रतिशत कुल व्यक्ति 55.92 प्रतिशत हैं। जिसमें 72.96 प्रतिशत पुरुष एवं 37.74 प्रतिशत महिलाएँ हैं। राजस्थान के शहरी क्षेत्र में साक्षरता प्रतिशत कुल व्यक्ति 76.89 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष 78.50 एवं महिला 65.42 प्रतिशत साक्षर हैं। राज्य में वर्ष 1951 में साक्षरता दर 8.50 थी जो 2001 में बढ़कर 61.03 प्रतिशत हो गई इस प्रकार साक्षरता दर में सात गुणा से अधिक बढ़ोतरी हुई है।

(2) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का प्रशासनिक स्वरूप

2.1 निदेशालय स्तर

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय मुख्यालय पर वर्ष 2009-2010 में प्रशासनिक स्वरूप निम्न प्रकार से है:-

1.	निदेशक, आई.ए.एस.	01
2.	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) आर.ए.एस.	01
3.	मुख्यलेखाधिकारी	01
4.	संयुक्त निदेशक	03
5.	उपनिदेशक	05
6.	जिला शिक्षा अधिकारी	03
7.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	01
8.	एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर	01
9.	लेखाधिकारी	02
10.	सहायक निदेशक	09
11.	सहायक लेखाधिकारी	08
12.	स्टाफ आफिसर	01
13.	सहायक विधि परामर्शदाता	01
14.	निजी सचिव	01

2.2 मंडल स्तर


माध्यमिक शिक्षा के कार्य एवं प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने की दृष्टि से 7 मंडल कार्यालय कार्यरत हैं। वे हैं :- 1. बीकानेर (मुख्यालय चूरु) 2. जोधपुर 3. जयपुर 4. अजमेर 5. उदयपुर 6. कोटा 7. भरतपुर। इनके अधीनस्थ अपने परिक्षेत्र की समस्त माध्यमिक, सीनियर माध्यमिक बालक, बालिकाएँ शिक्षण संस्थाएँ हैं। मंडल कार्यालय तथा उनके अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालयों का विवरण इस प्रकार है :-

<u>मंडल का नाम</u>	<u>अधीनस्थ जिशिअ (माध्यमिक) कार्यालय</u>
1. बीकानेर-चूरु मंडल	बीकानेर, चूरु, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू
2. जोधपुर मंडल	जोधपुर, जैसलमैर, बाडमेर, पाली, जालौर, सिरोही
3. उदयपुर मंडल	उदयपुर-प्रथम एवं द्वितीय, डूंगरपुर, बांसवाडा, चित्तौडगढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़
4. कोटा मंडल	कोटा, बून्दी, झालावाड, बारां
5. अजमेर मंडल	अजमेर-प्रथम एवं द्वितीय, भीलवाडा-प्रथम एवं द्वितीय, नागौर-प्रथम एवं द्वितीय, टोंक
6. जयपुर मंडल	जयपुर- प्रथम एवं द्वितीय, अलवर- प्रथम एवं द्वितीय, दौसा, सीकर- प्रथम एवं द्वितीय,
7. भरतपुर मंडल	करौली, सर्वाईमाधोपुर, भरतपुर-प्रथम/द्वितीय, धौलपुर

2.3 जिला स्तरीय प्रशासन

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अधीन मंडल स्तर पर उपनिदेशक (माध्यमिक) तथा जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) हैं। राज्य में 41 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय कार्यरत हैं। जिन 08 जिलों में माध्यमिक एवं सीनियर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या अधिक हैं, उन जिलों में दो दो जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय हैं। जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अपने क्षेत्र की समस्त माध्यमिक, सीनियर माध्यमिक स्तर की बालक/बालिका विद्यालयों का नियंत्रण एवं प्रशासन की देख रेख करते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के कुल 41 पद हैं, इनमें से जिला अजमेर, नागौर, भीलवाडा, जयपुर, अलवर, भरतपुर, सीकर, उदयपुर में दो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रथम एवं द्वितीय के अलग अलग संचालित हैं। शेष 25 जिलों में प्रत्येक में एक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय संचालित हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) का मुख्य कार्य जिले की अपने अधीनस्थ समस्त माध्यमिक एवं सीनियर माध्यमिक शिक्षण संस्थानों से सम्पर्क बनाये रखना, निरीक्षण करना उनसे सूचनाएं एकत्रित कर आवश्यकता अनुसार राज्य सरकार, निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालयों को उपलब्ध कराना है। शैक्षिक संस्थानों पर प्रशासनिक नियंत्रण बनाये रखने का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी का ही है। इनके कार्य की मदद के लिए जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं उप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यरत हैं।



(3) शैक्षिक प्रगति— माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक

- 3.1 राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अथक सुनियोजित प्रयासों के परिणामों से शिक्षा और साक्षरता में काफी वृद्धि हुई है। राज्य की साक्षरता दर जो 1951 में 8.95 प्रतिशत थी जो बढ़कर वर्ष 2001 में 61.03 प्रतिशत हो गई है। भारत वर्ष का साक्षरता प्रतिशत 65.38 है।
- 3.2 राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास एवं विस्तार हुआ है। राज्य में वर्ष 2009-10 में संदर्भ तिथि 30-9-2009 के आधार पर राजकीय एवं गैर राजकीय 12460 (11949 छात्र एवं 511 छात्रा) माध्यमिक विद्यालय तथा 6675 सीनियर माध्यमिक विद्यालय (5994 छात्र एवं 681 छात्रा) संचालित हैं। प्रबंधानुसार 6241 राजकीय, 23 सहायता प्राप्त, 6196 असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय है। इसी प्रकार 3128 राजकीय, 184 सहायता प्राप्त, 3363 असहायता प्राप्त सीनियर माध्यमिक विद्यालय हैं।
- 3.3 माध्यमिक विद्यालयों में कुल नामांकन 19,32,012 है इनमें से 11,90,347 छात्र एवं 7,41,665 छात्रा हैं। सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में कुल नामांकन 26,16,446 है। इनमें से 16,66,571 छात्र एवं 9,49,875 छात्रा है।
- 3.4 वर्ष 2009-10 में 1379 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किए गये। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान के 174, वाणिज्य के 101 व कृषि के 20 संकाय खोले गये।

(4) बालिका शिक्षा

- 4.1 राज्य में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बालिका शिक्षा के विकास के निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं जिनके फलस्वरूप बालिका शिक्षा की अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है। सन् 1951 में राज्य में महिलाओं की साक्षरता मात्र 2.51 प्रतिशत थी जो 2001 की जनगणना के अनुसार बढ़कर 44.34 प्रतिशत हो गयी है। 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत 37.74 है, जबकि शहरी क्षेत्र में महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत 65.42 है। इस प्रकार गत दशक की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत वृद्धि तीन गुणा से ज्यादा हुई है।
- 4.2 कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत बालिकाओं को शिक्षा शुल्क से मुक्त रखा गया है।
- 4.3 राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक की समस्त बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की गई तथा कक्षा 9 से 12 तक अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर बालिकाओं हेतु बुक-बैंक योजना संचालित है।
- 4.4 राजस्थान में 30-9-2009 की संदर्भ तिथि को बालिका शिक्षा के कुल 511 माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें राजकीय 407, सहायता प्राप्त 10 एवं असहायता प्राप्त 94 विद्यालय हैं। इसी प्रकार 681 बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें से 524 राजकीय 56 सहायता प्राप्त, 101 असहायता प्राप्त विद्यालय हैं। राज्य में वर्ष 2009-10 में बालिका नामांकन स्तरानुसार (कक्षा 9 से 12) कुल 16,91,540 रहा।

4.5 शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों में बी.एड. की 91,030 सीटों में 20 प्रतिशत सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। उक्त आरक्षण के अतिरिक्त महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में 31,210 सीटों पर केवल महिलाओं हेतु सीटें स्वीकृत हैं।

4.6 बालिका छात्रावास :-

राज्य की ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को माध्यमिक/सीनियर माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 33 में से 31 जिलों में 50-50 की क्षमता के बालिका छात्रावास निर्मित है। इनके संचालन हेतु 9.25 लाख रुपये व्यय किये गये।

4.7 गार्गी पुरस्कार योजना :-

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की कक्षा 10 परीक्षा में 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली समस्त बालिकाओं को 2 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 1000/- की दर से प्रोत्साहन राशि देने की गार्गी पुरस्कार योजना सत्र 1997-98 से प्रारंभ की गयी। इस योजना के तहत सत्र 2009-10 में राज्य में 17,761 बालिकाएं लाभांविता की गईं।

4.8 बालिका शिक्षा फाउण्डेशन :-

राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु बालिका शिक्षा फाउण्डेशन की स्थापना वर्ष 1994-95 में की गई है। इस फाउण्डेशन के माध्यम से आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों की प्रतिभावान बालिकाओं को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

4.9 ट्रांसपोर्ट-वाऊचर स्कीम :-

ग्रामीण क्षेत्र में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत छात्राएं जिनके निवास से विद्यालय 5 कि.मी. से ज्यादा दूर स्थित है एवं परिवहन निगम की बसों का आवागमन नहीं है, इन्हें प्रति विद्यालय-दिवस के हिसाब से 5 रुपये का ट्रांसपोर्ट-वाऊचर स्कीम प्रारम्भ की गई। वर्ष 2009-10 में 335.45 लाख रुपये व्यय किये गये। इससे 30343 छात्राएं लाभांविता हुईं।

4.10 साईकिल वितरण :-

ग्रामीण क्षेत्र में कक्षा 10 एवं 11 में अध्ययनरत 41,053 छात्राओं को साईकिल वितरण हेतु 569.35 लाख रुपये व्यय किये। छात्राएं जिनके निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 2 कि.मी. से अधिक किन्तु 5 कि.मी. से कम है, उन छात्राओं को 300 रुपये जमा करवाने पर यह सुविधा दी गई।

4.11 छात्राओं के लिए एफ.डी.आर. :-

राजकीय कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की छात्राएं जिन्होंने कक्षा 8वीं, 10वीं व 12वीं उत्तीर्ण की हैं उन्हें एफ.डी.आर. दिये जाने की योजना सत्र 2007-08 से प्रारम्भ की गई। इस वर्ष 49 छात्राओं को एफ.डी.आर. देने में 0.98 लाख रुपये व्यय किये गये।

(5) विभिन्न योजनाएं/कार्य

5.1 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण

राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत समस्त वर्ग की छात्राओं, अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र एवं शेष वर्ग के छात्रों को (बिना आयकरदाता के अभिभावक के बालको को) निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वर्ष 2009-10 में वितरित की गई। इस हेतु 13.50 करोड़ रुपये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को प्रदान किये गये।

5.2 विद्यालय क्रमोन्नति

राजकीय विद्यालय क्रमोन्नति के अन्तर्गत इस वर्ष में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक स्तर पर 1379 क्रमोन्नत किये गये। इसके अलावा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान के 174, वाणिज्य के 101 तथा कृषि के 20 संकाय नये खोले गये।

5.3 विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना

विद्यार्थियों की आत्म सुरक्षा की भावना को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना 1996 से प्रारम्भ की गयी। वर्ष 2000 से राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए संचालित विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना की प्रीमियम को दुगुना करने का निर्णय लिया ताकि विद्यार्थी को मुआवजे की राशि 10 हजार रुपये के स्थान पर 20 हजार प्राप्त हो सके। छात्र-छात्राओं के लिए सामुहिक-बीमा जारी करने के लिए प्रति छात्र 10 रुपये व प्रति छात्रा 5 रुपये वसूल कर वर्ष 2009-10 के प्रीमियम भुगतान हेतु 96.00 लाख रुपये का भुगतान राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर को किया गया।

5.4 बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन योजना

इस योजना के अंतर्गत कक्षा 9 व 11 में 70 प्रतिशत व इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रा/छात्राओं के लिए अक्टूम्बर, 09 से दिसम्बर, 2009 तक विशेष शैक्षिक मार्ग दर्शन की व्यवस्था की गयी। इसके साथ साथ प्रत्येक विद्यालय से चयनित छात्रा/छात्राओं के लिए शीतकालीन अवकाश के समय 07 दिवसीय जिला स्तरीय विशेष कोचिंग शिविर लगाये गये !

5.5 आई.ए.एस.ई./सी.टी.ई. संस्थान:-

केन्द्रीय प्रवृत्तित योजना के अंतर्गत दो उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान हैं। राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बीकानेर तथा अजमेर में संचालित है। 09 कॉलेज ऑफ टीचर एज्यूकेशन (सी.टी.ई.) कमशः जोधपुर, डबोक (उदयपुर), हटुन्डी (अजमेर), बग्गड (झुंझुनू), संगरिया (हनुमानगढ), भुसावर (भरतपुर) उदयपुर सरदारशहर एवं जामडोली (जयपुर) में संचालित हैं ।

5.6 अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को प्रतिभा विकास योजना

यह योजना शत प्रतिशत भारत सरकार की सहायता के अंतर्गत वर्ष 87.88 से चालू है । उच्च शिक्षा की आंकाक्षा रखने वाले माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों को प्रातः एवं सांयकालीन विशेष कक्षाएँ लगाई जाकर कठिन विषयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है तथा निःशुल्क छात्रावास, भोजन, पुस्तकें तथा स्टेशनरी सुविधा भी दी जाती है। यह योजना राज्य के 03 विद्यालयों में संचालित है। ये तीन विद्यालय हैं:-

1. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तोपदडा, अजमेर
2. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुमानपुरा, कोटा
3. रा. गुरु गोविंद सिंह उ.मा.वि., उदयपुर

इन तीन विद्यालयों को अलग अलग जिले आवंटित है । वर्ष 2009-10 में तोपदडा, अजमेर में 22 कोटा में 04 तथा उदयपुर में 28 छात्रों को लाभन्वित किया गया ।

5.7 राष्ट्रीय सेवा योजना

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत 10 जमा दो स्तर के विद्यालयों में वर्ष 1990 से यह योजना आरंभ की गई । यह योजना वर्तमान में 740 चयनित सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में संचालित है। इस योजनान्तर्गत विशेष शिविर एवं एक एक दिवसीय शिविर के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं । राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित और विशेष कार्यक्रमों के मुख्यतः चार पक्ष हैं :-

1. संस्थागत कार्य

बाहरी कल्याणकारी संगठनों के साथ स्वयं सेवक के रूप में जुड़कर कार्य करना ।

2. संस्थागत परियोजना

विद्यालय व परिसर में सुधार लाना ।

3. ग्रामीण परियोजना

निश्चरता का उन्मूलन करना, बचत के लिए प्रेरित करना, सड़को का सुधार व निर्माण, सफाई, वृक्षारोपण, परिवार कल्याण एवं समाजिक कुरीतियों का उन्मूलन करना ।

4. शहरी परियोजनाएँ

साक्षरता का प्रचार-प्रसार, गन्दी बस्तियों में सफाई, अस्पताल में सेवा कार्य, उपभोक्ता संरक्षण कानून का प्रचार करना एवं अल्प बचत को बढ़ावा ।

5. बजट

उक्त कार्यक्रमों के संचालन हेतु योजना मद में 101.67 लाख रुपये एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में 2.44 लाख रुपये स्वीकृत किये गये ।

5.8 संत्राक

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा अर्द्ध वार्षिक परीक्षा को महत्वपूर्ण बनाने के उद्देश्य से कक्षा 10 व 12 के लिए सत्र 95-96 से संत्राक योजना लागू की गई । इस योजना के तहत उक्त कक्षाओं के छात्रों को अर्द्ध वार्षिक परीक्षा में प्राप्तांको के 10 प्रतिशत अंक बोर्ड की परीक्षा में शामिल किये जाते हैं । उक्त योजना को इस सत्र में और अधिक प्रभावी बनाया गया । इसके अंतर्गत वर्ष 2009-10 में 20 प्रतिशत अंक वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित किये गये, जिससे बोर्ड के परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। इन 20 प्रतिशत संत्राकों का विभाजन इस प्रकार किया हुआ है :-

10 प्रतिशत	अर्द्ध वार्षिक परीक्षा + 3 सामयिक परख (सभी विषय)
5 प्रतिशत	प्रोजेक्ट कार्य (सभी विषय)
5 प्रतिशत	कक्षा में उपस्थिति एवं व्यवहार

5.9 विद्यालय निरीक्षण

विद्यालयों के सुसंचालन एवं शैक्षिक कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार लाने हेतु विद्यालयों का सतत मूल्यांकन एवं मार्गदर्शन आवश्यक है । इस हेतु विभाग द्वारा सत्र के आरंभ से ही सधन निरीक्षण के प्रयास किये गये जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं । सत्र 2009-10 में जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), मंडल अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा 6451 विद्यालयों का निरीक्षण किया गया है जिसमें बोर्ड परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण भी सम्मिलित है ।

5.10 भामाशाह सम्मान योजना

भामाशाह योजना विभाग द्वारा वर्ष 1991 में प्रारंभ की गई। इस योजनांतर्गत दानदाताओं से शाला के विकास हेतु योगदान प्राप्त करना तथा शाला परिवार से जुड़कर निर्माण हेतु अभिप्रेरित करना है। विभिन्न दानदाताओं (भामाशाहों) द्वारा वर्ष 2009-10 में मावि/उमावि. भवनों को दान में एवं राज्याधीन लिया गया जिनकी कुल लागत 308.13 लाख रुपये हैं।

5.11 गार्गी पुरस्कार योजना

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की माध्यमिक/प्रवेशिका (दसवीं) परीक्षा में 75 प्रतिशत व इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली समस्त छात्राओं को दो वर्ष तक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह राशि कक्षा 11-12 से नियमित अध्ययन हेतु 1500 रुपये प्रति वर्ष की दर से वर्तमान में दी जा रही है। "गार्गी पुरस्कार" योजना सत्र 1997-98 में प्रारंभ की गई। इस वर्ष 17,761 छात्राएँ लाभान्वित हुईं।

5.12 आश्रितों को नियुक्ति

वर्ष 2009-10 में मृत राज्य कर्मचारियों के 470 आश्रितों को नियुक्तियों की गई जिनमें से 294 कनिष्ठ लिपिक व 176 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान की गई।

5.13 12वें वित्त आयोग

12वें वित्त आयोग के अंतर्गत 389 लाख रुपये के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये गये। राज्य सरकार द्वारा उक्त राशि की स्वीकृति सीधे ही सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर के नाम जारी की गयी। इनके द्वारा ये राशि व्यय की गयी।

5.14 भवन मरम्मत

वर्ष 2009-10 में भवन मरम्मत कार्य हेतु 80 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया। जिसमें 119 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय/कार्यालय भवन मरम्मत के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये।

5.15 नाबार्ड योजना

नाबार्ड योजनान्तर्गत वर्ष 2009-10 में राज्य योजना में 50 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया जिसके विरुद्ध विगत वर्ष में शेष कार्य को पूर्ण करवाने हेतु 25.25 लाख रुपये व्यय किये गये।

5.16 कार्मिकों को पुरस्कार

वर्ष 2009-10 में मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 23 कार्मिकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

5.17 विद्यालयों में कम्प्यूटर

इन्फोरमेशन एवं कम्प्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी योजना के तहत 2500 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के आधार पर कम्प्यूटर सैट उपलब्ध करवाये गये। जिसका विस्तार 2000 अतिरिक्त विद्यालयों में किया जा रहा है।

(6) शारीरिक शिक्षा एवं सह-शैक्षिक प्रवृत्तियां

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की प्रतिवर्ष जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। जिला स्तरीय प्रतियोगिता जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के तत्वाधान में एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के तत्वाधान में आयोजित करवाई जाती है।

सत्र 2009-10 में 54वीं राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता राज्य के विभिन्न स्थलों पर आयोजित करवायी गयी, जिसमें लगभग 17,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस हेतु 7,35,000 रुपये आवंटित किये गये।

(7) आय व्यय

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर का वर्ष 2009-10 का वित्तीय प्रगति विवरण निम्न प्रकार है:-

वित्तीय प्रगति वर्ष 2009-10

(राशि लाख में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय व्ययक अनुमान 09-10	व्यय
आयोजना मद			
1.	माध्यमिक शिक्षा सैक्टर	14022.76	16597.32
2.	कम्प्यूटराईजेशन	0.01	0.00
3.	नाबार्ड	64.90	32.77
4.	शारीरिक शिक्षा सैक्टर	7.79	11.95
केन्द्र प्रवर्तित योजना			
1.	माध्यमिक शिक्षा	5518.89	4119.88

(8) पेंशन प्रकरण

वर्ष 2009-10 को निस्तारित प्रकरणों की स्थिति निम्नांकित है:-

क्र. सं.	विवरण	04/09 को बकाया	04/09 से 03/10 तक प्राप्त	योग	09-10 में निर्णित	शेष प्रकरण
1	पेंशन प्रकरण	835	2714	3549	2679	870
2	वित्तीय अधिकार 03	0	1146	1146	1146	0
3	स्थिरीकरण प्रकरण	3107	225	3332	3180	152

(9) न्यायालय प्रकरण

अधिकारियों, शिक्षकों और मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा अपने अधिकारों की मांग के लिए न्यायालय की शरण ली जाती है। न्यायालय में दायरवादों को निपटाने के लिये निदेशालय स्तर पर गठित विधि अनुभाग द्वारा राज्य सरकार की मदद से त्वरित गति से निपटाने की कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2009-10 में प्राप्त वाद एवं निपटाये गये वाद की स्थिति निम्न है:-

न्यायिक प्रकरणों की प्रगति स्थिति की सूचना

न्यायालय का नाम	31 मार्च, 2009 तक बकाया प्रकरण	4/2009 से 3/2010 तक नवीन प्राप्त प्रकरण	4/2009 से 3/2010 तक निर्णित प्रकरण	3/2010 को विचाराधीन प्रकरण
उच्चतम न्यायालय	50	10	05	55
उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर	3789	775	746	3818
सिविल सेवा अपील अधिकरण	1081	229	205	1105
राज. शैक्षिक अधिकरण (गैर सरकारी संस्थाएँ)	646	257	92	811
अधिनस्थ न्यायालय	674	97	69	702
योग	6240	1369	1117	6491

(10) जांच प्रकरण

(अ) विभागीय जांच प्रकरण

प्रकरण	01-4-09 को बकाया प्रकरण	वर्ष 09-10 में प्राप्त प्रकरण	योग	वर्ष 09-10 में निर्णित प्रकरण	विचाराधीन प्रकरण
सी.सी.ए.-16	337	79	416	51	365
सी.सी.ए.-17	679	177	856	227	629
निलम्बन	79	39	118	41	77
प्राथमिक जांच	850	236	1086	192	894
अपील	86	23	109	23	86

(ब) आंतरिक जांच दल

आंतरिक जांच दलों द्वारा विद्यालयों एवं कार्यालयों की समय समय पर विशेष जांच कार्य सम्पन्न किया। आडिट प्रतिवेदनों की अनुपालना करने हेतु निदेशालय स्तर से बकाया प्रकरणों को निपटाने का विशेष अभियान चलाया गया जिसके अर्न्तगत जिलेवार केम्प कर आक्षेपों का निस्तारण किया गया। 4587 आडिट प्रकरणों के बकाया अनुच्छेदों का निस्तारण किया गया।

(स) ए.जी. ऑडिट

वर्ष में निस्तारण प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है :-

वर्ष के प्रारंभ में बकाया प्रकरण		वर्ष में प्राप्त प्रकरण		निस्तारित प्रकरण		शेष प्रकरण	
निरीक्षण प्रतिवेदन	आक्षेप	निरीक्षण प्रतिवेदन	आक्षेप	निरीक्षण प्रतिवेदन	आक्षेप	निरीक्षण प्रतिवेदन	आक्षेप
401	874	165	495	137	374	429	995

(11) सतर्कता

विभाग द्वारा वर्ष के दौरान परिवारों के निस्तारण का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	परिवार विवरण	बकाया	नये प्राप्त	योग	निस्तारण	शेष
1	आर.पी.जी. (पंजीकृत)	14	59	73	27	46
2	लोकायुक्त	25	37	62	38	24
3	ए.सी.बी.	91	30	121	24	97
4	मुख्य मंत्री कार्यालय	14	125	139	85	54
5	सूचना का अधिकार	252	907	1159	1009	150

(12) विभागीय पदोन्नति समिति

विभाग में डीपीसी की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	संवर्ग	डी.पी.सी. वर्ष	चयनित
1	संयुक्त निदेशक / समकक्ष	2009-10	03
2	उपनिदेशक / समकक्ष	2009-10	02
3	जि.शि.अ. / समकक्ष	2009-10	20
4	प्रधानाचार्य / समकक्ष	2002-03 2003-04	240
5	वरि.उप जि.शि.अ. / समकक्ष	2001-02 से 2003-04	434
6	उप जि.शि.अ. (शारीरिक शिक्षक)	2008-09 2009-10	21

7 व्याख्याता (पुरुष)			
क्र.सं.	व्याख्याता विषय	डी.पी.सी. चयन वर्ष	चयनित
1	इतिहास	2004-05 से 06-07	264
2	सिंधी	2004-05	02
3	भौतिक	2002-03	10
4	भूगोल	2002-03	82
5	गुजराती	2002-03	01
6	संस्कृत	2002-03 से 03-04	96
7	शारीरिक शिक्षक	2003-04 से 07-08	51
8	अंग्रेजी	2001-02 से 08-09	316
9	हिन्दी	1999-2000 से 08-09	1190
व्याख्याता (महिला)			
11	शारीरिक शिक्षक	2004-05	05

(12) (ब) वरिष्ठता

वर्ष में छूटे गये कार्मिकों में 810 का नामांकन किया गया । 276 की योग्यता/अभिवृद्धि अंकित की गई । 219 कार्मिकों की वरिष्ठता में संशोधन तथा 242 के नाम विलोपित किये गये , वरिष्ठ अध्यापिकाओं (द्वितीय श्रृंखला) की राज्य स्तरीय वर्ष 95-96 एवं 96-97 की वरिष्ठता सूचियों का निर्माण कर स्थाई घोषित किया गया ।

(13) राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान प्रतिवर्ष डा. राधाकृष्ण के जन्म दिवस 05 सितम्बर से झंडियों की बिक्री का शुभारंभ कर शिक्षकों की सहायतार्थ राशि एकत्रित करता है । इस राशि से शिक्षकों के निधन पर रूपये 5000 व व्यावसायिक शिक्षा में शिक्षक के पुत्र/पुत्री को अध्ययनार्थ प्रतिवर्ष 15000 रूपये की आर्थिक सहायता देता है। वर्ष 2009-10 में दी गई सहायता का विवरण निम्न प्रकार से है :-

विवरण	राशी	प्रकरण
1. शिक्षको के निधन पर उनके आश्रितों को सहायता	3,45,000	69
2. व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत अध्यापकों के बच्चों को सहायता	12,62,325	88

(14) हितकारी निधि

इस योजना का संचालन निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा गठित समिति द्वारा निदेशक महोदय की अध्यक्षता में ही किया जाता है। राज्य कर्मचारियों से वार्षिक अंशदान दिसम्बर माह के वेतन से जिसका भुगतान जनवरी माह में किया जाता है, लिये जाने का प्रावधान है। प्राप्त राशि से ही राज्य कर्मचारियों के निधन पर उनके आश्रितों तथा स्वयं की बीमारी पर कर्मचारियों एवं परिवार के किसी सदस्य की गम्भीर बीमारी पर सहायता दी जाती है। प्राप्त अंशदान के आधार पर ही सहायता राशि में बढ़ोतरी भी होती रहती है। इस योजना में कर्मचारी के निधन पर रुपये 7000/- तथा बीमारी पर 5000/- रु. व दुर्घटना में मृत्यु पर 10,000/- रु. की सहायता दी जाती है। वर्ष 2009-10 में निम्न प्रकार सहायता दी गई :-

1. कर्मचारियों के निधन पर आश्रितों को सहायता	83 प्रकरण	05,75,400
2. बीमारी पर सहायता	20 प्रकरण	1,00,000
3. व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत सहायता	02 प्रकरण	4,500

15. छात्रवृत्ति की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2009-10 में व्यय राशि एवं लाभान्वित विद्यार्थियों का विवरण निम्न है :-

छात्रवृत्ति योजना नाम	व्यय (लाखों में)	लाभान्वित की संख्या
1. अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	1356.34	419198
2. अनु. जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	1178.12	360366
3. अनु. जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति	995.01	100952
4. अनु. जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति	841.02	81143
5. अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवार के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	103.73	8077
6. पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति	1.32	132
7. अत्यन्त निर्धनता छात्रवृत्ति योजना	0.03	21
8. मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को	0.04	32
9. कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति	5.20	289
10. अन्य पिछड़ी जाति के बच्चों को पूर्व मैट्रिक	703.42	198645
11. 1.4.99 से पूर्व हुए शहीद के बच्चों को छात्रवृत्ति	01.19	66

(16) गैर राजकीय संस्थाओं को अनुदान

अनुदान प्राप्त संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदों एवं अनुदान प्रतिशत के आधार पर बजट अनुमान प्रस्तावित किया जाता है इस अनुमान में वेतन भत्तो, कार्यालय एवं अन्य व्यय की गणना की जाती है । वर्ष 2009-10 में आयोजना भिन्न मद में विभिन्न संस्थाओं का अनुदान दिया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	संस्था स्तर	व्यय राशि (लाखों में)
1.	माध्यमिक विद्यालय	
2.	उच्च माध्यमिक विद्यालय	
3.	छात्रावास	4708
4.	केन्द्रीय कार्यालय	
5.	शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय	88

(17) शिक्षक दिवस समारोह

05 सितम्बर, 2009 को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को उनकी उत्कृष्ट भूमिका एवं विशिष्ट सेवा के लिए पुरस्कृत किया गया । वर्ष 2009 में 60 शिक्षकों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया । यह पुरस्कार महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा 14 शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया ।

(18) पुस्तकालय (समाज शिक्षा)

केन्द्रीय क्रय योजनान्तर्गत वर्ष 2009-10 में विद्यालयी पुस्तकालयों हेतु आयुक्तालय स्तर पर गठित समिति द्वारा 9.45 लाख रुपये की पुस्तकों का चयन किया गया एवं शिक्षा मंत्री स्वविवेक कोष के अंतर्गत पुस्तकें क्रय की जाकर विद्यालयों को कुल 13,100 पुस्तकें निःशुल्क प्रेषित की गई ।

(19) शिक्षक प्रशिक्षण

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन करवाने हेतु शिक्षकों को तैयार करने के लिए राजस्थान में कुल 791 राजकीय/गैर राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय है। जिनमें केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत दो उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान तथा नौ शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय है । इनमें स्नातकों व अधिस्नातकों को प्री.बी.एड. टेस्ट में मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रदान किया जाता है । इसमें प्रशिक्षण की अवधि एक शिक्षण सत्र की होती है। इनमें सह-शिक्षा व्यवस्था है। महिलाओं एवं पुरुषों के लिए पृथक-पृथक महाविद्यालय भी है ।

91,030 प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश हेतु विभिन्न महाविद्यालयों में सीटों का आवंटन किया गया है ।

शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम

राज्य में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में सत्र 2002-03 में बी.पी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है। राज्य में राजकीय क्षेत्र में केवल एक तथा 10 गैर राजकीय क्षेत्र में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं।

(20) विभागीय प्रकाशन

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के प्रकाशन विभाग की ओर से सम्पूर्ण शिक्षा जगत को जानकारी देने एवं शिक्षा निर्णायक मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान के लिए प्रतिमाह शिविरा पत्रिका प्रकाशित की जाती है। शिविरा पत्रिका के प्रकाशन का यह 48वां वर्ष है। शिविरा को राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेशों में भी अपनी विशिष्ट पहचान है। वर्तमान में इसकी प्रसार संख्या लगभग 25,000 है। शिक्षक दिवस प्रकाशन योजनान्तर्गत निम्न पाँच पुस्तकों का प्रकाशन किया गया।

क्र.सं.	विषय	पुस्तक का नाम
1	हिन्दी विविधा	सृजन के रंग
2	कविता	कविता कानन
3	राजस्थानी विविधा	मरुरी मुलक
4	शिक्षा साहित्य	शैक्षिक चिन्तन धारा
5	बाल साहित्य	इन्द्र धनुष

इसके अलावा "नया-शिक्षक" त्रैमासिक पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है। वर्तमान में इसकी प्रसार संख्या 9,000 है।

(21) भाषायी अल्पसंख्यक

भारतीय संविधान की धारा 350(क) के अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यकों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने का स्पष्ट प्रावधान है। राजस्थान में उर्दू, सिंधी, पंजाबी एवं गुजराती इन चारों अल्पसंख्यक भाषाओं को मान्यता प्रदान की गयी है।

राज्य की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर इच्छुक छात्रों को उनकी अल्पभाषा तृतीय भाषा, ऐच्छिक विषय पढ़ने की सुविधा प्रदान की गयी है। इन विद्यालयों में एक कक्षा में अल्पभाषी छात्रों की संख्या 15 या पूरे विद्यालय में 60 छात्र अल्पभाषा अध्ययन करना चाहते हैं, तो यह सुविधा प्रदान करायी जावेगी।

राज्य में भाषायी अल्प संख्यक भाषाओं के अध्ययन हेतु निम्न राजकीय विद्यालय संचालित हैं:-

विद्यालय	भाषायी अल्प संख्यक भाषाओं के संचालित विद्यालयों की संख्या			
	उर्दू	सिंधी	गुजराती	पंजाबी
माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय	347	25	10	68

उपरोक्त विद्यालयों में 84 व्याख्याता, 369 वरिष्ठ अध्यापक एवं 196 अध्यापक के पद स्वीकृत हैं।

(22) विशिष्ट शैक्षिक अभिकरण

शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए निम्नलिखित विशिष्ट संस्थान भी कार्यरत हैं:-

1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर
2. राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर
3. संस्कृत शिक्षा निदेशालय, जयपुर
4. राजकीय सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर
5. बालिका शिक्षा फाऊण्डेशन, जयपुर
6. भारत स्काउट एवं गाइड, जयपुर
7. छः अकादमियां :-
 1. राजस्थान उर्दू अकादमी, जयपुर
 2. राजस्थान सिन्धी अकादमी, जयपुर
 3. राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर
 4. राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, जयपुर
 5. राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर
 6. राजस्थान भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर
8. भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर

शिक्षा की प्रगति से सम्बन्धित तालिकाएं वर्ष 2009-10
(30-9-2009 के अनुसार)

सारणी संख्या-1

राज्य में प्रबन्धानुसार शिक्षण संस्थाएं :-

प्रबन्ध	माध्यमिक विद्यालय			सीनियर माध्यमिक विद्यालय		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
राजकीय	5834	407	6241	2604	524	3128
अनुदान प्राप्त	13	10	23	128	56	184
असहायता प्राप्त	6102	94	6196	3262	101	3363
योग	11949	511	12460	5994	681	6675

सारणी संख्या-2

राज्य में प्रबन्धानुसार नामांकन :-

प्रबन्ध	माध्यमिक शिक्षा			सीनियर माध्यमिक विद्यालय		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
राजकीय	531262	392450	923712	743810	463973	1207783
अनुदान प्राप्त	1432	2370	3802	65811	44302	110113
असहायता प्राप्त	657653	346845	1004498	856950	441600	1298550
योग	1190347	741665	1932012	1666571	949875	2616446

सारणी संख्या-3

राज्य में प्रबन्धानुसार अध्यापक:-

प्रबन्ध	माध्यमिक शिक्षा			सीनियर माध्यमिक शिक्षा		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
राजकीय	20517	4634	25151	28787	8916	37703
अनुदान प्राप्त	58	113	171	1901	1570	3471
असहायता प्राप्त	43729	17781	61510	35174	15388	50562
योग	64304	22528	86832	65862	25874	91736

सारणी संख्या-4

कक्षावार नामांकन-

कक्षा	राजकीय विद्यालय			अनुदान प्राप्त			असहायता प्राप्त			योग		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
6	139523	98242	237765	4106	3554	7660	193479	111723	305202	337108	213519	550627
7	135436	93338	228774	4546	3197	7743	196071	107582	303653	336053	204117	540170
8	165833	118689	284522	5422	4700	10122	228597	120468	349065	399852	243857	643709
योग 6 से 8	440792	310269	751061	14074	11451	25525	618147	339773	957920	1073013	661493	1734506
9	285140	198597	483737	9702	7654	17356	266176	138535	404711	561018	344786	905804
10	217893	156082	373975	10364	7474	17838	314859	146783	461642	543116	310339	853455
11	200113	115961	316074	17272	10383	27655	170274	89914	260188	387659	216258	603917
12	131134	75514	206648	15831	9710	25541	145147	73440	218587	292112	158664	450776
योग 9 से 12	834280	546154	1380434	53169	35221	88390	896456	448672	1345128	1783905	1030047	2813952
महायोग	1275072	856423	2131495	67243	46672	113915	1514603	788445	2303048	2856918	1691540	4548458

सारणी संख्या - 5

राज्य में प्रबन्धानुस्र नामांकन-अनुसूचित जाति

प्रबन्ध	माध्यमिक विद्यालय			सीनियर माध्यमिक विद्यालय		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
राजकीय	116820	71586	188406	152148	79478	231626
अनुदान प्राप्त	333	424	757	7244	5459	12703
असहायता प्राप्त	92053	47175	139228	96655	49511	146166
योग	209206	119185	328391	256047	134448	390495

सारणी संख्या-6

राज्य में प्रबन्धानुस्र नामांकन -अनुसूचित जन जाति

प्रबन्ध	माध्यमिक शिक्षा			सीनियर माध्यमिक विद्यालय		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
राजकीय	83121	62415	145536	98840	58223	157063
अनुदान प्राप्त	36	123	159	2664	2095	4759
असहायता प्राप्त	59200	27554	86754	65121	29235	94356
योग	142357	90092	232449	166625	89553	256178

सारणी संख्या-7

राज्य में प्रबन्धानुस्र नामांकन -अन्य पिछड़ा वर्ग

प्रबन्ध	माध्यमिक शिक्षा			सीनियर माध्यमिक शिक्षा		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
राजकीय	53507	181925	435432	344465	201465	545930
अनुदान प्राप्त	658	455	1113	28946	18447	47393
असहायता प्राप्त	25626	167755	493381	428497	199575	628072
योग	79791	350135	929926	801908	419487	1221395

NEPA DC



C118

-20-

